कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड लालसोट
गंगापुर रोड लालसोट जिला दौसा।
E-mail: eelalsot.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 312 दिनांक 30-05-2024
उप वन संरक्षक
दौसा।

विषयः– **Construction of Missing Link Road from NH-148 to Moroli via peepli Patalwas Koliwada Dob Paplaj Mata Sar Dhaun (MDR-145) km 9.00 to 15.00, in the State of Rajasthan** में निर्माण कार्य बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of Missing Link Road from NH-148 to Moroli via peepli Patalwas Koliwada Dob Paplaj Mata Sar Dhaun (MDR-145) km 9.00 to 15.00 निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्व में ही पूर्ण कर ली गयी है तथा सड़क निर्माण कार्य में आवश्यक भूमि के स्थान पर अतिरिक्त भूमि वन विभाग को आवंटित कर दी गई है। वर्तमान में सम्पूर्ण कार्यवाही वन विभाग के स्तर से पूर्ण की जानी हैं।

अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्त सड़क निर्माण हेतु नियमानुसार वन विभाग से वैधानिक सक्षम स्वीकृती दिलवाने का श्रम करे।

Bala
(बालाबक्स मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–लालसोट

क्रमांक : दिनांक :

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त दौसा।
2. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड रामगढ पचवारा।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–लालसोट

घर-घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांकः एफ. 14(जयपुर नोटि.)2023/एफसीए/प्रमुवसं/8158 दिनांक 21/11/23

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः-राजस्थान की वन अधिनियम 1953 धारा 29 (29) के अन्तर्गत अवर्गीकृत वनखण्डो की प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रकाशन हेतु भिजवाये जाने बाबत्।

संदर्भः-आपका पत्रांक प. 2 (4) वन/2023 दिनांक 10.05.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी आक्षेप के क्रम में उप वन संरक्षक, दौसा के पत्रांक 6635 दिनांक 19.10.2023 से प्राप्त प्रत्युत्तर अनुसार अनुपालना निम्नानुसार प्रेषित हैः-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रतिउतर
1.	समीपस्थ अधिसूचित वन खण्ड के खसरा मानचित्र पर अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि को अंकित करते हुए मानचित्र पर वर्तमान वन सीमा, प्रस्तावित वनखण्ड की सीमा, आदि का स्पष्ट अंकन प्रथम अनुसूची में वर्णित सीमा विवरण के समर्थन में मंगवाए।	उप वन संरक्षक द्वारा अधिसूचना वनखण्ड गोल मेन के खसरा मेंप ग्राम गोदावास पर प्रस्तावित भूमि को अंकित कर प्रस्तुत की गयी है। प्रथम अनुसार प्रस्तावित वनखण्ड का विवरण संलग्न कर दिया गया है।
2.	भूमि से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध भूमि की के.एम.एल. के अनुसार उक्त भूमि पश्चिम की ओर वन सीमा के लगी हुई नही है जबकि अधिसूचना प्रस्ताव में पश्चिम में वनभूमि होना दर्शाया गया है। स्थिति स्पष्ट करावे एवं विभाग की बेवसाईट पर वनसीमा सही करावे।	अधिसूचना के प्रस्ताव में पश्चिम में वन भूमि होना दर्शाया गया है। जो कि बन्दोबस्त एवं राजस्व रिकार्डनुसार सही है। वन विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध केएमएल फाईल में वन विभाग की सीमा को सही करवा दिया जावेगा।

संलग्नः-उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(जयपुर नोटि.)2023/एफसीए/प्रमुवसं/8159-60 दिनांक 21/11/23

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, दौसा।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

9

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, दौसा

(कलेक्ट्रेट के पास भाकरी रोड दौसा, (Phone & Fax No. 01427-223304, Email-dcf.dausa.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2023–24/6635 दिनांक : 19/10/23

निमित्त

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर।

विषयः– राजस्थान की वन अधिनियम 1953 धारा 29(3) के अन्तर्गत अवर्गीकृत वनखण्डो की प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रकाशन हेतु भिजवाये जाने बाबत्।

संदर्भ– आपका कार्यालय पत्रांक 6195 दि. 31.05.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार हैः–

1. अधिसूचित वनखण्ड गोल मेन के खसरा मैप ग्राम गोदावास पर प्रस्तावित भूमि को अंकित कर चाही गई सूचना संलग्न प्रस्तुत है।
2. अधिसूचना के प्रस्ताव में पश्चिम में वन भूमि होना दर्शाया गया है। वह वन बन्दोबस्त एवं राजस्व रिकार्डनुसार सही है। वन विभाग की बेबसाईट पर उपलब्ध केएमएल फाईल में वन विभाग की सीमा को सही करवा दिया जावेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा. रामानन्द भाकर)
उप वन संरक्षक,
दौसा

क्रमांक/सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
दौसा

Signature valid
RajKaj Ref 4941914
Digitally signed by Ramanand Bhakar
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.19 :46:27 IST
Reason: Approved

971

Notification
3/11

D:\Pavan\Letter 2017.doc

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] গোঁধুৱালু
বনখণ্ড – গোল লেন
ৰেঞ্জ – লালমাট

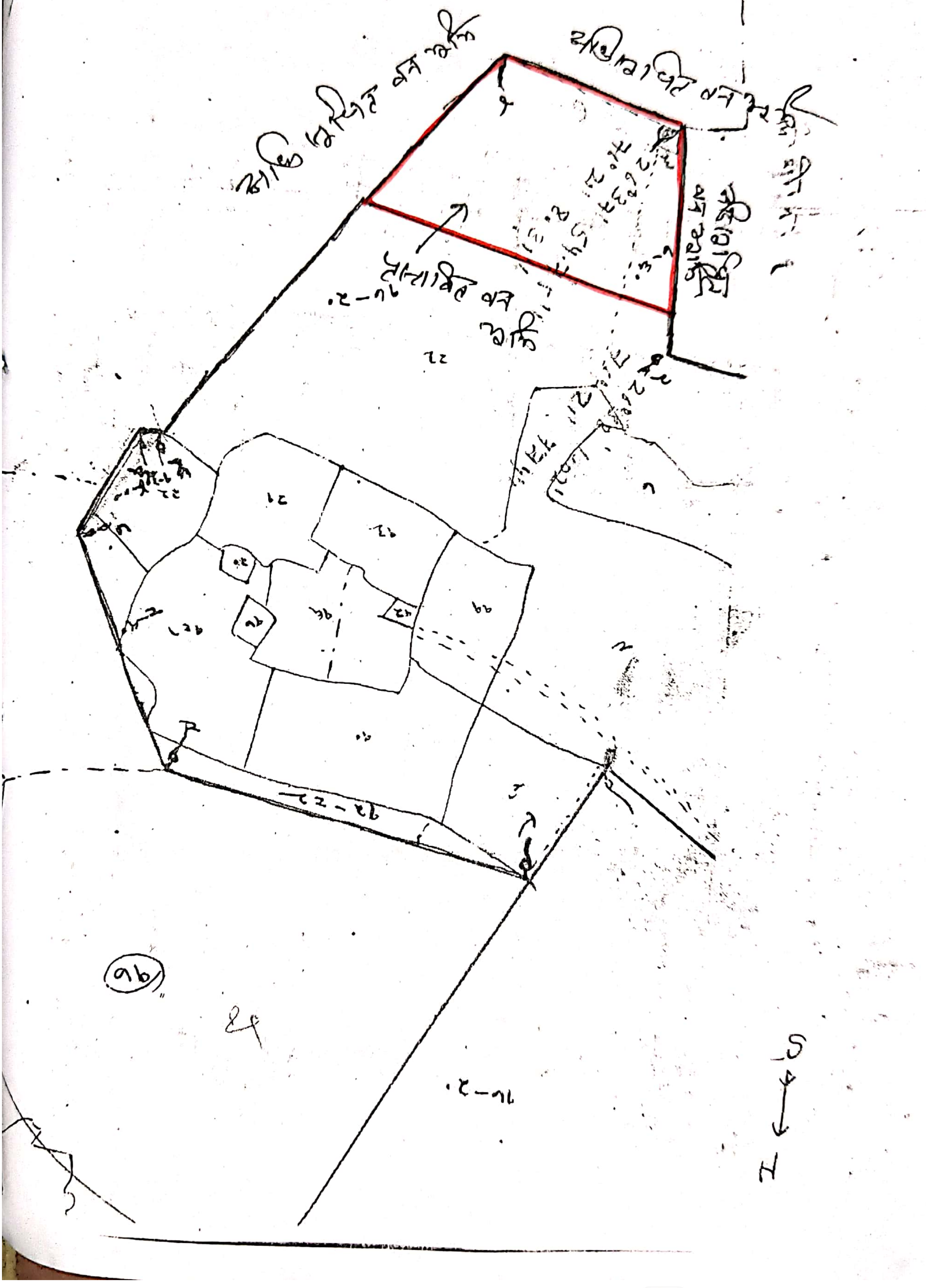

Welcome to PARIVESH × Parivesh2.0 - User Administrat × Welcome to PARIVESH × (1) WhatsApp × Bhunaksha ×

bhunaksha.rajasthan.gov.in

115/17

Online Users: 9 Online Visitors: 260

☰ Home

Location

State Rajasthan

District 07 दौसा

Tehsil 337 राहुवास

RI 2954 डूंगरपुर

Halkas 11780 सवैमपुरा

Village 51161 गोदावास

Sheet No 001 001

Plot Info

क्षेत्रफल : 3.0207 Hectare

खाता संख्या : 52

1.) जंगलात विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

Nakal

Same Owner Nakal

1485872.75149, 5621736.03325

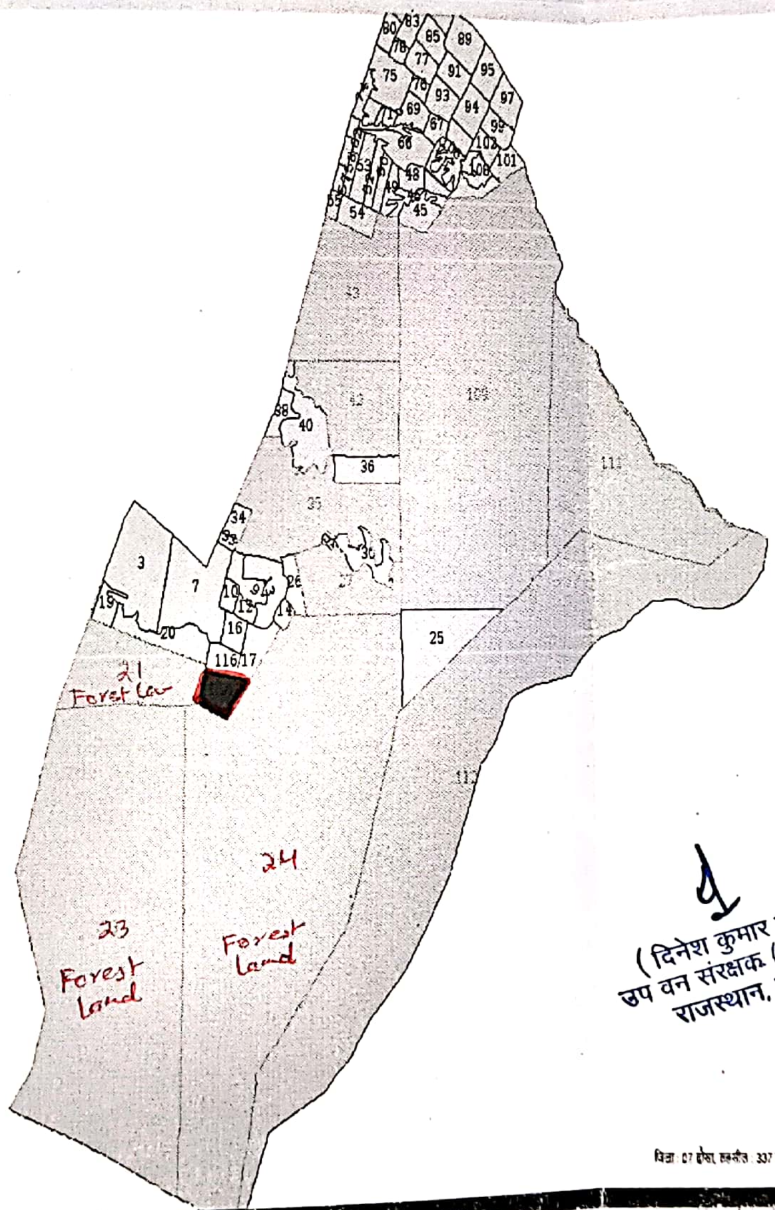

– Proposed Forest Block Gol E

–

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

जिला : 07 दौसा, तहसील : 337 राहुवास, RI : 2954 डूंगरपुर, Halkas : 11780 सवैमपुरा, गाँव : 51161 गोदावास, Sheet No : 001

कार्यालय उप वन संरक्षक, दौसा

(कलेक्ट्रेट के पास भाकरी रोड दौसा, (Phone & Fax No. 01427-223304, Email-dcf.dausa.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2023–24/6635 दिनांक : 19/10/23

निमित्त

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर।

विषयः— राजस्थान की वन अधिनियम 1953 धारा 29(3) के अन्तर्गत अवर्गीकृत वनखण्डो की प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रकाशन हेतु भिजवाये जाने बाबत्।

संदर्भः— आपका कार्यालय पत्रांक 6195 दि. 31.05.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार हैः—

1. अधिसूचित वनखण्ड गोल मेन के खसरा मेंप ग्राम गोदावास पर प्रस्तावित भूमि को अंकित कर चाही गई सूचना संलग्न प्रस्तुत है।
2. अधिसूचना के प्रस्ताव में पश्चिम में वन भूमि होना दर्शाया गया है। वह वन बन्दोबस्त एवं राजस्व रिकार्डनुसार सही है। वन विभाग की बेबसाईट पर उपलब्ध केएमएल फाईल में वन विभाग की सीमा को सही करवा दिया जावेगा।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा. रामानन्द भाकर)
उप वन संरक्षक,
दौसा

क्रमांक/सम/ दिनांकः—

प्रतिलिपिः— मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
दौसा

Notification
20/11 20/11/23

RajKaj Ref
4941914

Signature valid
Digitally signed by R[...]anand Bhakar
Designation : Depu[...] Conservator Of Forest
Date: 2023.10.[...]:46:27 IST
Reason: Approved

971

D:\Pavan\Letter 2017.doc

Scanned with OKEN Scanner